⑤

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

सं0 672 सा0शा0/95/534प्रो0स्टो0/95-11 दिनांक: 5 अप्रैल, 1995

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक,
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ।

विषय:- एकाउन्टिंग मैनुअल के अनुसार दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर लेखों को सुचारू रूप से रख रखाव के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मेरे संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ क्षेत्रों द्वारा वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित बिलों का जर्नल वाउचर एकाउन्टिंग मैनुअल में दिये गये निर्देशानुसार तैयार नहीं किये जा रहे हैं । क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय के वेतन अनुभाग का लेखाकार, जहाँ डिपो/स्थानीय इकाइयों के बिल पास/तैयार किये जाते हैं, जर्नल वाउचर सही-सही तैयार नहीं करता है जिसके कारण तद्नुसार सम्बन्धित खातों में पोस्टिंग करने से व्यक्तिगत खातों को माह के अन्त में रिकन्साइल करने पर अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि वेतन अनुभाग के लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार द्वारा वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित बिलों हेतु एक पृथक से जर्नल बुक कालमर लेजर नं0-1 जिसमें वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित समस्त खातों को खोलने का प्राविधान है, दिनांक 1-4-95 से मेन्टेन करायेंगे एवं एकाउन्टिंग मैनुअल में दिये गये निर्देशानुसार जर्नल वाउचर तैयार कराना तथा इस लेजर को सुचारू रूप से रख रखाव कराना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराना है कि कतिपय क्षेत्रों में चेक निर्गत करने का कार्य कार्यालय सहायक करता है जो निर्गत चेकों के विवरण हेतु एक चेक रजिस्टर मेन्टेन करता है लेकिन बैंक बुक को मेन्टेन करने का कार्य दूसरे लेखाकार से लिया जाता है जिसके कारण बैंक-बुक मेन्टेन करने वाले लेखाकार को अनावश्यक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से चेक निर्गत करने का कार्य लेखाकार से ही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें जो चेक रजिस्टर के बजाय बैंक-बुक में ही सीधे निर्गत चेकों की पोस्टिंग करके दिनांक 1-4-95 से बैंक-बुक को मेन्टेन करेगा । इस बैंक-बुक पर भी चेक रजिस्टर की भाँति सम्बन्धित लेखाकार/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक(वित्त)/क्षेत्रीय प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे ।

भवदीय,

(भुवन चन्द्र)
वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी

सं0 672 शा0लेखा/95 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

(भुवन चन्द्र)
वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी